

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 रा0उ0प्रा0वि0 मेगवालों की बस्ती (बाड़मेर आगौर)

प्रार्थीगण
हडवन्तसिंह पुत्र गेनसिंह जाति
राजपूत निवासी बाड़मेर आगौर
तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. रतनसिंह पुत्र उदयसिंह
2. बन्नेसिंह पुत्र उदयसिंह
3. रामसिंह पुत्र उदयसिंह
4. जेतमालसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह
5. लुणसिंह पुत्र जेतमालसिंह
6. छोदूसिंह पुत्र जेतमालसिंह
7. नरपतसिंह पुत्र जेतमालसिंह
8. रेखकंवर पत्नि जेतमालसिंह
9. समदकंवर पत्नि गिरधरसिंह
10. माधोसिंह पुत्र गिरधरसिंह
11. सुदेरसिंह पुत्र गिरधरसिंह
12. गणपतसिंह पुत्र रूगसिंह
13. मोहनसिंह पुत्र रूगसिंह
14. भागीरथसिंह पुत्र रूगसिंह
15. सुमेरसिंह पुत्र रूगसिंह
16. हुकमसिंह पुत्र नखतसिंह
17. गणेशकंवर पत्नि नखतसिंह
18. सुरेन्द्रसिंह पुत्र भाखरसिंह
19. ओमसिंह पुत्र भाखरसिंह
20. शिशपालसिंह पुत्र भाखरसिंह
21. जोगसिंह पुत्र भाखरसिंह
22. पवनसिंह पुत्र भाखरसिंह
23. उगमकंवर पत्नि भाखरसिंह
24. तेजसिंह पुत्र थानसिंह
25. रेवतसिंह पुत्र थानसिंह
26. मोहनसिंह पुत्र तनसिंह
27. धन्सिंह पुत्र पदमसिंह
28. उदयसिंह पुत्र दीपसिंह
29. हेमसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
30. नारायणसिंह पुत्र रिडमलसिंह
31. मेवसिंह पुत्र कमलसिंह
32. हेमसिंह पुत्र सबलसिंह
33. चैनसिंह पुत्र जालमसिंह
34. बन्नेसिंह पुत्र कमलसिंह
35. लुणसिंह पुत्र पदमसिंह
36. पबसिंह पुत्र पदमसिंह
37. भभूतसिंह पुत्र पदमसिंह
38. जगसिंह पुत्र पदमसिंह
39. हीरसिंह पुत्र पदमसिंह
40. अशोकसिंह पुत्र पदमसिंह
41. विक्रमसिंह पुत्र दुर्जनसिंह
42. हरीसिंह पुत्र दुर्जनसिंह
43. हाकमसिंह पुत्र दुर्जनसिंह
44. बलवन्तसिंह पुत्र उगमसिंह
45. रतनसिंह पुत्र उगमसिंह
46. जनकसिंह पुत्र उगमसिंह
47. गजेंसिंह पुत्र खेतसिंह
48. शैतानसिंह पुत्र गम्भीरसिंह
49. सम्पतसिंह पुत्र गम्भीरसिंह जातियान राजपूत निवासी बाड़मेर आगौर तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत् राजस्व आवेदन संख्या-63/2021 दिनांक-19.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाड़मेर आगौर पटवार हल्का बाड़मेर तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 1786 रकबा 22.04 खसरा नम्बर 1800 रकबा 06.19 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुये एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगड़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 19/11/2021

क्रमांक/रीडर/2021/6380-6391

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर आगौर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी हडवन्तसिंह पुत्र गेनसिंह जाति राजपूत निवासी बाड़मेर आगौर तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थी रतनसिंह पुत्र उदयसिंह वगैरह जाति राजपूत निवासी बाड़मेर आगौर तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर